

**यूको बैंक**

सम्मान आपके विश्वास का



**UCO BANK**  
Honours Your Trust

Annexure-XII

हिरणावली शाखा: पता रीको पोस्ट ऑफिस के पास, उद्योग विहार, हिरणावली जिला- श्रीगंगानगर (राज.) 335002

**विक्रय सूचना (मात्र ई-नीलामी के जरिये विक्रय)**

वित्तीय आस्थिरता का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत सम्पत्ति को विक्री हेतु सार्वजनिक सूचना वित्तीय आस्थिरता का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्तियों को विक्री यतः यूको बैंक अचल कार्यालय जोधपुर के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया था अनुवर्ती को सफेदी अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋण खातों में बेचने के अधिकार के अन्तर्गत जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है तथा वहां जो कुछ भी है बिना संसाधनों के आधार पर बैंक के बकायों की निम्नवर्णन के अनुसार व्याज के साथ वसूली हेतु तथा फलस्वरूप बकायों के भुगतान में असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उसको प्रदत्त शक्तिधियों के अनुप्रयोग में अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत बैंक के बकायों की वसूली हेतु उक्त सम्पत्तियों की विक्री के लिए सूचना निर्गमित की। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपलब्ध ई-नीलामी मंच के जरिये वेबसाइट पर विक्री की जायेगी।

(ए) ऋणी का नाम पते के साथ (बी) जमानतदारों का नाम पते के साथ (सी) मांग सूचना की दिनांक (डी) कब्जे की दिनांक (ई) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	प्रभारित/ बंधक सम्पत्तियों का विवरण तथा उनकी स्थिति	(1)आरक्षित मूल्य	(2)घरोर राशि(आरक्षित मूल्य का 10 %)
<p>ए) मैसर्स श्री गंगा नगर गम एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. वी-359-बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर (राज.)</p> <p>बी) (1) श्री अनिल कुमार सिंघल पुत्र श्री मदन लाल सिंघल डी-54/55, प्रथम तल, महेन्द्र एन्कलेव, नई दिल्ली-110033 (2) श्रीमती अनिता सिंघल पत्नी श्री भंवर लाल सिंघल डी-54/55, प्रथम तल, महेन्द्र एन्कलेव, नई दिल्ली-110033 (3) श्री सोनू सिंघल पुत्र श्री मदन लाल सिंघल, प.नं. 61-सी ब्लॉक, श्री गंगानगर (राज.)</p>	<p>1. औद्योगिक प्लॉट एवं फैक्ट्री भवन प्लॉट नं. बी-359-बी, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, उद्योग विहार, श्री गंगानगर, साईंज 3186.50 वर्गमीटर।</p> <p>2. प्लान्ट एवं मशीनरी</p>	<p>रु. 203.80 लाख</p> <p>रु. 41.00 लाख</p> <p>रु. 249.90 लाख</p>	<p>रु. 2498000/-</p>

सी) 22.12.2016 डी) 25.09.2017 ई) रु. 3,07,86,962.88 दिनांक 30.11.2016 तक

नीलामी विक्री की दिनांक एवं समय : 27.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 1.00 (5 मिनट की असीमित समयवृद्धि के साथ)

निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक : 23.04.2018 को सायं 5.00 बजे तक।

नियम व शर्तें :- ई-नीलामी विक्री की नियम व शर्तें : 1) सम्पत्ति जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है एवं वहां जो कुछ भी है तथा बिना संसाधनों के आधार पर बेची जा रही है। इच्छुक बोलीदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे राजस्व/एसआरओ रिकार्ड में शीर्षक, पहचान, सीमा, परिधि, सर्वे नं., डोर नं., सीमाओं एवं प्रभारों का बेची जाने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में जांच कर लें। 2) इच्छुक बोलीदाता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (Class II / Class III) धारण करके इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी एप्लिकेशन ((viz., <https://ucobank.auctiontiger.net>)) के पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करेंगे। 3) बोलियां प्रस्तावित प्रारूप में ऑनलाइन के जरिये ही जमा की जायेगी ऑनलाइन बोलियां वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के जरिये जमा होगी। ऑनलाइन बोलियां दिनांक 23.04.2018 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा हो जानी चाहिए। सम्पत्ति के प्रत्येक प्रकार के लिए अलग से बोली जमा की जायेगी। 4) बोलियां पहचान पत्र की प्रति के साथ बोली फार्म के साथ अटैचमेंट के रूप में भेजी जानी चाहिए। मांग पत्र, कार्ड, पासपोर्ट, चोट्टर आईडी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, अथवा फोटो पहचान कार्ड जो केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्गमित है व ही पहचान दस्तावेज के तौर पर स्वीकारणीय होगा तथा बोली दस्तावेज के साथ जमा किया जाना चाहिए। बोलीदाता जो विदेश में/पीआईओ जो दोहरी नागरिकता/ पनआरआई है वे अपनी वैध भारतीय पासपोर्ट की प्रति जमा करवायेंगे। मूल पहचान दस्तावेज ( जिसको प्रति बोली प्रारूप के साथ जमा कराई गयी है) मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। 5) आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत घरोर राशि के रूप में RTGS/NEFT/Money Transfer के जरिये बैंक खाता संख्या 27791032220001 IFSC Code: UCBA0002779 में जमा किया जाना चाहिए तथा भेजे जाने का विवरण स्पष्ट रूप से बोली प्रारूप में दर्जित किया जाना चाहिए। घरोर राशि असफल बोलीदाताओं को बिना व्याज के वापस उनके बैंक खाते में लौटा दी जायेगी। नीलामी के रद्द हो जाने की स्थिति में भी घरोर राशि बैंक द्वारा बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। भाग लेने वाले बोलीदाताओं को यह आवश्यक है कि वे नीलामी बंद होने के उपरान्त इस संदर्भ में बैंक से सम्पर्क करें। 6) बोली दस्तावेज की प्रति उसके साथ चलान ऑनलाइन जमा किये गये दस्तावेज तथा पूर्ण हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक जोनल ऑफिस 461, पाल लिंक रोड, जोधपुर (राजस्थान) 342001 को भेजे जाने चाहिए जो दिनांक 23.04.2018 तक या उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए। बैंक बोली दस्तावेज या उसके साथ चलान के पोर्टल ऑथोरिटी/ कॉम्प्यूर एप्लिकेशन/ केरियर के द्वारा के पहुंच अथवा नहीं पहुंचने की स्थिति या विलम्ब हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। 7) अर्पण बोलीयां/ अहस्ताक्षरित बोलीयां तथा उपरोक्त क्रम संख्या 3, 4, 5 एवं 6 में जो पुष्ट नहीं हुई है उसे निरस्त कर दिया जायेगा। बोलियां जो उपरोक्त नियत राशि से ऊपर नहीं है उन्हें भी सिरे से स्वीकार नहीं दिया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी एक अथवा अधिक बोलियों को तथा नीलामी को बिना कारण बताये स्थगित/रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित है। 8) नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाइन ई-नीलामी के जरिये की जायेगी। ऑनलाइन बोली प्रक्रिया बोलीयों में निर्धारित उच्चतम बोली से प्रारम्भ होगी तथा प्रत्येक बोली को रुपये 1,00,000/- या उसके गुणकों में सभी सम्पत्तियों हेतु बढ़ाया जा सकेगा। 9) एकल बोलीदाता होने की स्थिति में उसके बोली प्रारूप में लगाई गई बोली राशि कम से कम एक बोली पुष्टि मूल्य से बड़ाई जानी चाहिए नहीं तो विक्रय निरस्त अथवा रद्द हो जायेगा। 10) यदि कोई भी उच्चतम बोली (अन्य समय में उच्च बोली से ऊपर की बोली) नीलामी बंदी के अन्तिम 5 मिनटों में प्राप्त होती है तो बोली प्रक्रिया का समय अगले पांच मिनटों के बराबर बढ़ा दिया जायेगा। वह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक 5 मिनटों के दौरान कोई बोली नहीं आती तथा ई-नीलामी बंद नहीं हो जाती। 11) उच्चतम बोली को "अनुमोदन के आधार पर" प्रायोजनत्मक स्वीकृत किया जायेगा तथा उच्चतम बोलीदाता को जबतक उसके पक्ष में विक्री की पुष्टि न हो जाये तब तक कोई अधिकार नहीं होगा। 12) सफलतम बोलीदाता बोली राशि का 25 प्रतिशत (घरोर राशि घटा कर) उसके पक्ष में विक्री हो जाने पर RTGS/NEFT/Money Transfer के जरिये क्रम संख्या 5 में दर्जित बैंक खाते में जमा करवायेगा। प्राधिकृत अधिकारी सफलतम बोलीदाता के पक्ष में विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गमित करेगा। किसी भी लम्बित वाचिका/अपील की स्थिति में वाचिका/अपील के पूर्ण होने की स्थिति में विक्रय की पुष्टि हो जायेगी। 13) सफलतम बोलीदाता उसके पक्ष में विक्रय की पुष्टि होने पर 15 दिवस के भीतर शेष राशि जमा करवायेगा यदि सफलतम बोलीदाता उक्त अवधि में बोली की शेष राशि जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो सम्पत्ति का पुनः बेचान कर दिया जायेगा। इस स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब तक ली जायेगी तथा उसे सम्पत्ति पर कोई दावा अथवा बेचे जाने वाली सम्पत्ति हेतु कोई राशि का अधिकार नहीं होगा। 14) सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 19.04.2018 को प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य पूर्वानुमति से किया जा सकता है इसके अतिरिक्त सम्पत्ति विक्रय किसी को आवश्यक हो तो श्री एन.एस. दिल्ली, प्रबंधक, यूको बैंक, रीको पोस्ट ऑफिस के पास, उद्योग विहार, हिरणावली, श्रीगंगानगर (राज.)-335002 (फोन: 0154-2494954) से प्राप्त किया जा सकता है। 15) दो या अधिक व्यक्ति बोली जमा कराने में संयुक्त किये जा सकते हैं ऐसी स्थिति में विक्रय प्रमाण पत्र उसके संयुक्त नाम से निर्गमित किया जायेगा। विक्रय प्रमाण पत्र में उनके नामों में बोली में दर्जित के अलावा कोई भी नाम जोड़ने/हटाने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। 16) बेचने के लिए लाई गई सम्पत्ति में एक से अधिक प्रकार होने की स्थिति में सम्पत्तियों की विक्री सुविधा के अनुसार की जायेगी तथा यह विक्रय सूचना में दर्जित क्रम के अनुसार होने हेतु बाध्य नहीं होगा। 17) बोलीदाता एवं नीलामी क्रेता को समस्त जानकारी ई-नीलामी सेवाप्रदाता द्वारा ई-मेल के जरिये दी जायेगी ई-मेल की दिनांक को जानकारी देने की दिनांक ही माना जायेगा यदि कोई पूर्ण सूचना प्रदान नहीं होती है तो बोलीदाताओं से ई-नीलामी सेवा प्रदाता से स्थिति जाने की आशा की जाती है। पूर्व सूचना प्राप्त नहीं होने पर व्यतिक्रम / भुगतान न करना कोई बहाना नहीं माना जायेगा। 18) यदि 30 दिवस से कम के लिए विक्रय को स्थगित किया जाता है तो कोई नई विक्रय सूचना निर्गमित नहीं कि जायेगी। 19) यदि ऋणी/बैंक को अनुबन्ध के बकाया अन्य खर्चों के साथ प्राधिकृत अधिकारी को सफलतम बोलीदाता को विक्रय पुष्टि पत्र निर्गमित करने से पूर्व भुगतान कर देता है तो विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी ऐसी स्थिति में बैंक सफलतम बोलीदाता के द्वारा जमा समस्त राशि को बिना व्याज के लौटा देगा 20) वैधानिक बकाया/दायित्व इत्यादी जो सरकार/स्थानीय किसी को भी देय है वे सफलतम बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे 21) सफलतम बोलीदाता कानून के अनुसार सम्पत्ति के पंजीयन शुल्कों/ देय खर्चों को स्वयं वहन करेगा। 22) बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता पोर्टल/ वेबसाइट (viz., <https://ucobank.auctiontiger.net>) नीलामी में भाग लेने से पूर्व देखने की सलाह दी जाती है। समस्त भाग लेने वाले बोलीदाता विक्रय की शर्तों को समझे तथा उन शर्तों हेतु बाध्य होंगे 23) ई-नीलामी से सम्बन्धित विवरण ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट ऑफिस टाइगर लिमिटेड सम्पर्क संख्या श्री जिनेश जरिवाल 09978591888 टैल्फोन नं. 079-40005444/401/437/438/416/417/418 Email: [rajasthan@auctiontiger.net](mailto:rajasthan@auctiontiger.net), [jinesh.jariwal@auctiontiger.net](mailto:jinesh.jariwal@auctiontiger.net), [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net) से प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी विक्री प्रतिभूत लेनदार बैंक के पुष्टिकरण पर निर्भर करेगी अन्य जानकारी हेतु जो सम्पत्ति के विवरण, प्रपत्रों के सत्यापन अथवा विक्रय के नियम व शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई है तो प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक जोनल ऑफिस 461, पाल लिंक रोड, जोधपुर (राजस्थान) 342001 तथा सम्पर्क संख्या 0291-2633544 से कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : श्रीगंगानगर दिनांक 22.03.2018

प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक